न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी सुभाष चन्द्र, आर.ए.एस

मैनुअल प्र.सं. 43 / 2020

जीसीएमएस 2020 / 00104

1 रामलाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी 82 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

2. राधेश्याम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी 82 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

–:वादीगण

बनाम

1. बिमला पुत्री काशीराम पत्नी रामनारायण जाति जाट निवासी 82 आरबी हाल 13 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

2. कलावती पुत्री काशीराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी 82 आरबी हाल 13 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–:अप्रार्थी

उपस्थिति :–

1. श्री राजाराम पूनियां, वकील वादीगण

2. राजपैरोकार

अन्तर्गत धारा 88,209 आरटी.एक्ट एंव 125, 136 एलआर.एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक : 19.07.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1–2 के पिता काशीराम [illegible] लखाटिब्बा के प.नं. 258 / 277 मु.नं. 263 के 6.325 है. बारानी भूमि अस्थाई आवंटन [illegible] थी। काशीराम के देहान्त के उपरांत भूमि के स्थाई आवंटन का प्रार्थना पत्र [illegible] देवी, कलावती, रामलाल, राधेश्याम ने उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के पेश किया। जिसमें पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गयी। जिसमें वादीगण व प्रति. सं. 1–2 का कब्जा बताया। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा यही रिपोर्ट पेश की गयी। तमाम औपचारिकताएं

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.07.29 12:27:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

पूरी करने के उपरान्त [illegible] मिसल [illegible] 1991-1992 [illegible] जैसा पि0 [illegible] के नाम से स्थाई [illegible] पर खातेदार सनद भी [illegible] में प्रार्थी सं. 1 के नाम से अमल दरामद की गई [illegible] राजस्व कागजात में अमल दरामद होना चाहिए था।

उक्त भूमि दिनांक 23.12.2019 को प्रति. सं. 1-2 ने [illegible] अपना हिस्सा की भूमि का दान पत्र उप पंजीयक रायसिंहनगर के कार्यालय में पंजीकृत करवा दिया। इस प्रकार वादीगण उक्त भूमि में बहिस्सा बराबर बराबर के खातेदार बन गये है। दान पत्र के अनुसार तहसीलदार रायसिंहनगर के समक्ष दिनांक 11.06.2020 को अमलदरामद का प्रार्थना पत्र पेश किया तो तहसीलदार रायसिंहनगर ने इंकार कर दिया यही तारीख बिनाय मुखासमत है। दान पत्र के रोज से बिनाय दावा प्राप्त हैं।

वाद पत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाते हुए चक लखा टिब्बा के प.नं. 258/277 मु.नं. 263 के 6.325है. भूमि बाबत जमाबंदी में दुरूस्ती कर व वादीगण व प्रतिवादी सं. 1-2 का नाम दर्ज किया जाकर दान पत्र दिनांक 11.06.2020 के अनुसार वादीगण को बहिस्सा बराबर बराबर के खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार रायसिंहनगर को राजस्व कागजात में अमल दरामद करने का आदेश देने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। दिनांक 10.08.2021 को प्रतिवादी सं. 1-2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से राजपैरोकार जवाब दावा प्रस्तुत कर रिकार्ड हद तक के तथ्यों को स्वीकार किया एवं शेष तथ्य जानकारी अभाव में अस्वीकार किये हैं। प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। वादीगण की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र रामलाल एवं राधेश्याम का पेश हुआ। शपथ पत्र राधेश्याम पर ब्यान दर्ज किये गये एवं प्रदर्श अंकित किये गये। राजपैरोकार द्वारा जिरह नहीं करने पर जिरह शून्य की गयी।

बहस वकील वादीगण एवं राजपैरोकार सुनी गयी। वकील वादीगण अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि के अस्थाई आवंटन [illegible] के उपरांत भूमि के अस्थाई से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र वादीगण एवं प्रति. सं. 1-2 द्वारा संयुक्त रूप से लगाया गया था। परन्तु आवंटन आदेश एवं खातेदारी बिमल [illegible] वगैरा के नाम से जारी कर दी गयी हैं। जिसकी दुरूस्ती कर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1-2 का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाना उचित हैं। प्रतिवादी सं. 1-2 द्वारा अपने हिस्सा की भूमि जरिए दान-पत्र वादीगण के पक्ष में छोड़ दी है। इसलिए वादीगण को भूमि का बहिस्सा खातेदार घोषित करने हेतु निवेदन किया। राजपैरोकार द्वारा अपनी बहस में इस पर कोई एतराज प्रकट नहीं किया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhas Chandra
Date: 2022.07.29 12:27:36
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

[illegible]

आया कि चक लखाहिका के प.नं. 268/277 मु.नं. 263 के 6.325है. भूमि रामलाल, राधेश्याम, बिमला, कलावती के नाम स्थाई आवंटन हुई परन्तु राजस्व रिकार्ड में बिमलादेवी आदि नाम से दर्ज हो गई जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रदर्श 1 जमाबंदी लखाहिका खाता सं. 382 के अनुसार मु.नं. 263 की 6.325है. बारानी भूमि बिमला पुत्र काशीराम जाति नायक सा. 82 आरबी खातेदार दर्ज है। प्रदर्श 6 प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र स्थाई आवंटन बिमला वगैरा के नाम से प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्राप्त रिपार्ट तहसीलदार रायसिंहनगरा प्रदर्श 7 है। रिपोर्ट पटवारी हल्का प्रदर्श 8 हैं। प्रदर्श 7-8 में प्रार्थी के नाम बिमला, राजाराम, रामलाल, कलावती अंकित हैं। प्रदर्श 3ए आवंटन आदेश दिनांक 18.07.1992 अनुसार मि.नं. 871/1992 के आदेश अनुसार विवादित भूमि बिमला वगैरा पि. काशीराम के नाम से आवंटित की गयी हैं। प्रदर्श–9 जमाबंदी संवत 2051–54 के अनुसार मु.नं. 263 की 6.325है. बारानी भूमि का बिमला वगैरा गैरखातेदार का नोट जमाबंदी पर अंकित किया गया हैं, जिसका इंतकाल प्रदर्श–10 इ.सं. 503 हैं। प्रदर्श–4 सनद दिनांक 10.10.2007 हैं जो बिमला वगैरा के नाम से जारी की गयी हैं। जिस पर दर्ज नामान्तरकरण प्रदर्श–5 ईतकाल गैरखातेदार से खातेदार बिमला वगैरा का स्वीकृत दिनांक 06.02.2013 वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं। जिस आधार पर वर्तमान रिकार्ड जमाबंदी में खातेदार का नाम बिमला दर्ज हैं।

उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष हैं कि भूमि का स्थाई आवंटन काशीराम के वारिसान बिमला, कलावती, राजाराम, रामलाल को हुआ था। परन्तु आवंटन आदेश एवं सनद खातेदारी में नाम बिमला वगैरा अंकित हो जाने से राजस्व रिकार्ड में भूमि बिमला के नाम से खातेदारी दर्ज हैं। जिसकी दुरूस्ती की जानी उचित हैं। तथा खातेदार बिमला के स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1–2 का प्रत्येक 1/4 [illegible] न्यायसंगत हैं।

वादी राधेश्याम द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत [illegible] आवंटन हेतु आवेदन बिमलादेवी, रामलाल, राधेश्याम, कलावती देवी की तरफ से पेश किया था परन्तु पटवारी हल्का व श्रीमान् तहसीलदार रायसिंहनगर ने संहवन से राधेश्याम की जगह राजाराम नाम लिख दिया जबकि सही नाम राधेश्याम हैं। साथही वादीगण द्वारा संरपच ग्राम पंचायत लखाहाकम द्वारा जाति वारिस प्रमाण

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhas Chandra
Date: 2022.07.29 12:27:3
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

[illegible]

[illegible]

आया कि प्रतिवादीगण बिमलादेवी व कलावती ने दिनांक 23.12.2019 को वादीगण रामलाल व राधेश्याम के पक्ष में बहिस्सा बराबर दान पत्र उप पंजीयक गजसिंहपुर कार्यालय में पंजीकृत करवा दिया इसलिए वादीगण उक्त भूमि के बहिस्सा बराबर बराबर के खातेदार बन गये है जो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–2ए चित्रप्रति दान पत्र दिनांक 23.12.2019 उप पंजीयक गजसिंहपुर से पंजीबद्ध बिमला, कलावती बहक रामलाल, राधेश्याम की प्रस्तुत की है। जिस अनुसार प्रतिवादी सं. 1–2 द्वारा विवादित भूमि में से अपने हिस्सा की भूमि वादीगण को उपहार में दे दी हैं। अतः दान पत्र के रोज से ही वादीगण को विवादित भूमि के हक अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। जिसके राजस्व रिकार्ड में वे अमल दरम्द करवाने के अधिकारी हैं।

अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

लिहाजा उक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर चूकि दोनों तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी हैं। वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि :–

"1. विवादित भूमि चक लखाटिब्बा के प.नं. 258/277 मु.नं. 263 के 6.325 है. बारानी के दर्ज खातेदार बिमला पुत्री काशीराम की दुरूस्ती की जाकर के स्थान पर रामलाल–राधेश्याम–बिमला–कलावती पिसरान काशीराम जाति जाट निवासी 82 आरबी तहसील रायसिंहनगर प्रत्येक 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. खातेदार दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं।

2. पंजीकृत दान पत्र दिनांक 23.12.2019 के द्वारा प्रतिवादी सं. 1–2 के द्वारा अपने हिस्सा की भूमि वादीगण को उपहार में दे दी है। जिससे दान पत्र के द्वारा भूमि के समस्त अधिकार प्रतिवादी सं. 1–2 से वादीगण को हस्तांतरित हो गये हैं। अतः विवादित भूमि चक लखाटिब्बा के प.नं. 258/277 मु.नं. 263 के 6.325 है. बारानी का वादीगण रामलाल–राधेश्याम पिसरान काशीराम जाति जाट निवासी 82 आरबी तहसील रायसिंहनगर को प्रत्येक 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता हैं।

इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.07.29 12:27:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर